संख्या-77/2020/4374/71-2-2020-17/2019

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।
2. कुलपति,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।
3. निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020

विषयः- संजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अति विशिष्ट विशेषज्ञता के रिक्त एवं विज्ञापित पदो के सापेक्ष संविदा के आधार पर सीमित अवधि के लिये राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं तथा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को आचार्य के पद पर पुनर्नियोजित किये जाने के संबंध में।

&&&&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने (निदेशक एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ) पत्र संख्या-पी0जी0आई0/निदेशक/कैम्प/594/2020 दिनांक 28.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान की इंस्टीटयूट बाडी की 31 वीं बैठक दिनांक 29.05.2019 में लिये गये निर्णय के आलोक में संकाय सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार सेवानिवृत्त प्रोफेसर को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-7291/बी0-2020 दिनांक-17.10.2020 एवं निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-2880/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2020 दिनांक-10.09.2020 द्वारा विश्वविद्यालय/संस्थान में सेवानिवृत्त आचार्यों को रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रोफेसर के रिक्त एवं विज्ञापित नियमित पदो के सापेक्ष चिकित्सा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, राजकीय मेडिकल कालेजों तथा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों में से ऐसे प्रोफेसर जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हो, प्रोफेसर ''कंसल्टेन्ट'' के रूप में अनुलग्नक (जिसका हिन्दी रूपान्तरण बाद में प्रेषित किया जायेगा) में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन 0 2,20,000/ प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Remuneration) पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- संविदा के जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है, उन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कम से कम 02 बार विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के उपरान्त उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ही संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

5- संबंधित संस्था द्वारा संविदा पर रिक्त पदों को प्रतिष्ठित संस्थान से भरे जाने हेतु विज्ञापन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन निकाला जायेगा तथा संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

6- संबंधित संस्था द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा संबंधित संस्थान के निदेशक द्वारा नामित प्रोफेसर स्तर के चिकित्सा शिक्षक, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष तथा कार्यकारी रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार सम्मिलित रहेंगे।

7- संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा संस्थान के निदेशक द्वारा चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें 02 बाह्य विशेषज्ञ होंगे। वाह्य विशेषज्ञों में कम से कम 01 विशेषज्ञ संबंधित स्पेशियलिटी से होंगे।

8- चयनित अभ्यर्थी की संविदा पर नियुक्ति सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

9- सेवानिवृत्त प्रोफेसरो को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया को प्रयोग के तौर पर समय-समय पर रिक्त पद के सापेक्ष 05 वर्षों के लिये अपनाया जायेगा।

10- चिकित्सा संस्थाओं में सुपर स्पेशिलियटी विभागों के रिक्त पदों, जिनका विवरण संलग्नक में है, के अतिरिक्त समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों तथा नये सृजित होने वाले सुपर स्पेशिलियटी विभागों में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 02 बार विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के बावजूद, उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में यदि पद नहीं भरे जा सके हैं, तो इन पदों को संविदा के माध्यम से भरा जायेगा।

11- प्रतिष्ठित संस्थान के सेवानिवृत्त आचार्यो को ही संविदा पर नियुक्त किया जायेगा। यहाँ पर प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान का आशय यह है, कि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त हुए हों, और एकैडमिक क्वालिफिकेशन पूर्ण करते हों। राज्य सरकार के अधीन संचालित ऐसे मेडिकल कालेज, जिनकी स्थापना हुए 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं चिकित्सा संस्थान, जिनकी स्थापना हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हों तथा भारत सरकार के अधीन संचालित ऐसी चिकित्सा संस्थायें, जिनकी स्थापना हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- प्रस्तावित चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की भर्ती सुसंगत नियमों के अनुसार पारदर्शी रीति से की जायेगी।

13- अतिविशिष्ट विशेषज्ञता से सम्बन्धित विभागों में प्रोफेसर के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

14- सेवानिवृत्त आचार्य, जिन चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत रहे हैं, उनको उसी संस्थान में संविदा पर पुनर्नियुक्त नही किया जायेगा।

अनुलग्नक/संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-77/2020/4374(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
5- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
7- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-3
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।